15/10/19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस तामील नहीं हुए है। इस सम्बन्ध में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 27.11.2018 को प्रतिवादीगण विपक्षीगण के सम्मन नोटिस तामील हेतु पेश करने तथा जारी कराने की हिदायत दी गई थी किन्तु वकील वादी द्वारा प्रतिवादी सं॰ 2 से लगाकर 6 तक के सम्मन नोटिस तामील हेतु पेश नहीं किये गये जिस कारण से करीब 11 माह से अधिक का समय पूर्ण होने पर भी सम्मन नोटिस नक्शा तलबाना पेश नहीं किये जाने से प्रकरण पत्रावली में आगिम आवश्यक कार्यवाही नहीं हो पा रही है। इस सम्बन्ध में आज दिनांक को वक्त सुनवाई पेशी वकील वादी को आज ही सम्मन नोटिस पेश कर जारी कराने हेतु आदेश दिये गये जिस पर वकील वादी ने सम्मन नोटिस पेश करने की सहमति दी गई किन्तु न्यायालय समय कार्य के समाप्ति तक भी सम्मन नोटिस पेश नहीं किये गये तथा न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है। प्रकरण पत्रावली के वकील द्वारा हर बार तारीख पेशी ली जाती है ऐसी स्थिति में पत्रावली में आगिम आवश्यक कार्यवाही सम्पादित कराने में वकील वादी द्वारा कोई रुचि नहीं ली जाना प्रतीत होता है। तथा न्यायालय कार्य के प्रति उदासीनता बरती जा रही है। अत: वाद वादी आदेश 9 नियम 5 आ॰ दी॰ के तहत खारीज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी,
डूंगला